



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46996

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3218/2026

शिव सेवक सिंह और 2 अन्य

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अशोक कुमार पांडे, प्रीति सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं (तीनों) की शिकायत यह है कि यद्यपि वे विभिन्न तिथियों पर शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी वे 3.10.2016 से द्वितीय एसीपी (वार्षिक वेतन भुगतान) के पात्र हैं, जिसे 27.06.2017 के सरकारी आदेश के अनुसार समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को पहले ही दिया जा चुका है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. कटघरे में किये गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करें। इस अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विकास बुधवार, जे.)

9 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।